

प्रेषक,
किंजल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5

लखनऊ : : दिनांक 09 फरवरी, 2018

विषय:-जनपद- लखनऊ की तहसील- सरोजनी नगर के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1303/12(भवन)-62/2015 दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ की तहसील-सरोजनी नगर के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1522-ए/एक-5-2015-79/2015, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के द्वारा मानकीकृत लागत ₹0 264.23 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा प्रथम किश्त के रूप में ₹0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में ₹0 164.23 लाख (रूपये एक करोड़ चौसठ लाख तेईस हजार मात्र) अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।
- (3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी०एल०ए०/डिपोजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1522-ए /एक-5-2015-79/2015, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 मे उल्लिखित शर्तें प्रभावी रहेगी।

- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
किंजल सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-5/2018/198(1)/एक-5-2018-02/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 5- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 6- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (पूर्ववर्ती पैकफेड)/संबंधित
- 7- राजस्व अनुभाग-6
- 8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
कपिल कुमार कटियार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।